नगर पालिका परिषद, आष्टा जिला– सीहोर (म0प्र0)

क्रमांक 1031/स्वा.शा./आई.ई.सी./न.पा./2017 आष्टा दिनांक 05.08.2017

:: निविदा ::

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

(EXPRESSION OF INTERESST)

नगरीय निकाय क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अंतर्गत सूचना शिक्षा एवं जनजागरूकता अभियान प्रचार–प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को संचालित किया जाना है। इस हेतु इच्छुक/अनुभवी/संस्था/सक्षम गैर सरकारी संस्थाओं को सर्वप्रथम निकाय स्तर पर सूचीबद्ध किया जाना है, निकाय से आवश्यक नवीन प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक संस्थाओं द्वारा निकाय में रूपये 5000/– पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कर प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। उक्त राशि वापसी योग्य नही है। आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 28.08.2017 को सायं 5:30 बजे तक एवं आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29.08.2017 सायं 5:30 बजे तक है।

नोट–

1. उक्त विज्ञापन को विभागीय वेबसाइट http://mpurban.gov.in/ पर भी देखा जा सकता हैं।

के.एल. सुमन मुख्य न.पा. अधिकारी न.पा. परिषद आष्टा	नरेन्द्र कुशवाह सभापति स्वा. शाखा न.पा. परिषद आष्टा	खालिद पठान उपाध्यक्ष न.पा. परिषद आष्टा	कैलाश परमार अध्यक्ष न.पा. परिषद आष्टा

पृ. क्र 1032/स्वा.शा./आई.ई.सी./न.पा./2017 आष्टा दिनांक 05.08.2017

प्रतिलिपि :–

1. नगर पालिका परिषद आष्टा के सूचना पटल पर चस्पा एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
2. दैनिक समाचार पत्र .... में कम से कम स्थान पर प्रकाश हेतु।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद आष्टा
जिला सीहोर म.प्र.

(मुहर: मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा.परिषद आष्टा)

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई

स्वच्छ भारत मिशन - मध्य प्रदेश

संस्थाओं द्वारा "अभिरुचि की अभिव्यक्ति" जमा करने हेतु "अनिवार्य पात्रता मानदंड"

(Mandatory Eligibility Criterion for Submission of EOI by Organizations)

1. 1 अप्रैल 2017 को संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कम्पनीज पंजीकरण अधिनियम 1956/2013 अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत न्यूनतम 3 वर्षो से पंजीकृत होनी चाहिए और आवेदन की तिथि के समय पंजीकरण वैध होना चाहिए। (कृपया पंजीयन पमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

   सन्दर्भ: प्रपत्र संख्या 2 के बिंदु संख्या 2.1 व 2.3 से प्राप्त जानकारी ।

2. संस्था की नियमावली के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंर्तगंत सभी घटको में कम से कम 3 घटक संस्था के उद्देश्यों में होने चाहिए। (कृपया संगठन के स्मृति पत्र व नियमावली की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

   सन्दर्भ: प्रपत्र संख्या 2 के बिंदु संख्या 3 से प्राप्त जानकारी !

3. संस्था का मुख्यालय अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश में होना चाहिए। संस्था द्वारा जिस निकाय में सूचीबद्ध होने के लिए प्रपत्र भरा जा रहा है उस निकाय में संस्था का कार्यालय होने पर संस्था को वरीयता दी जाएगी।

   सन्दर्भ: प्रपत्र संख्या 2 के बिंदु संख्या 4 से प्राप्त जानकारी ।

4. संस्था के पास समुदाय स्तरीय जागरुकता सृजन व सामुदायिक उत्प्रेरणा कार्यों का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव होना चाहिए। (कृपया संबंधित प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

   सन्दर्भ: प्रपत्र संख्या 2 के बिंदु संख्या 8.1, 8.2 व 8.3 से प्राप्त जानकारी ।

5. संस्था की पिछले तीन सालों (2013-14, 2014-15 तथा 2015-16) की लेखा पुस्तकें चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा अंकेक्षित होनी चाहिए। (कृपया उपरोक्त तीन सालों की लेखा अंकेक्षित वित्तीय विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)।

   सन्दर्भ: प्रपत्र संख्या 2 के बिंदु संख्या 14 से प्राप्त जानकारी ।

6. संस्था का पिछले तीन वर्षो का औसत व्यवसाय (टर्नओवर) नगर पंचायत के लिए रु०15.00 लाख, नगर पालिका के लिए रु०30.00 लाख, तथा नगर निगमों के लिए रु०45.00 लाख का होना चाहिए।

   सन्दर्भ: प्रपत्र संख्या 2 के बिंदु संख्या 14 से प्राप्त जानकारी ।

7. संस्था को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी भी द्विपक्षीय एजेंसी द्वारा काली सूची में नही डाला गया होना चाहिए। (कृपया इस संबंध में संस्था के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र संलग्न करें)।

<u>नोट</u>

जो संस्थाएं सभी अनिवार्य पात्रता मानदंड को पूरा करेंगी, केवल उन्हीं को सहयोगी संगठनों के सूचना प्रारूप में उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध मूल्यांकित किया जाएगा। इस मूल्यांकन में न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने वाले संगठनों को ही सूचीबद्ध किया जाएगा।

केवल सूचीबद्ध संगठनों को ही मेयर-इन-कौंसिल/ प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल से अनुमोदन के उपरांत "प्रस्ताव हेतु आमंत्रण" (Request for Proposal) भेजा जायेगा। सहयोगी संगठनों का अंतिम चयन उनके द्वारा जमा किए गए तकनीकी व वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन व तकनीकी प्रस्तुतीकरण के परिणाम के आधार पर ही किया जायेगा।